राजस्थान–सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,

"पंजीयन–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–7(42)जन/2017/ 14311–28 दिनांक : 27/10/17

समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान

विषय : बैंक, बीमा कम्पनी एवं मॉल के द्वारा निष्पादित दस्तावेजों पर देय मुद्रांक शुल्क की जॉच बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत दिनांक 18.10.2017 को शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग के यहां हुई बैठक में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में लेख है कि आपके वृत्त के अधीन कार्यरत बैंकों, बीमा कम्पनियों एवं मॉल के द्वारा दस्तावेज निष्पादन पर मुद्रांक शुल्क भुगतान की देयता सुनिश्चित करने हेतु इनकी नियमित रूप से जांच/निरीक्षण नहीं किया जा रहा है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–37(3) में प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.2(20)वित्त/कर–अनु./97 दिनांक 16.12.97 द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, पंजीकृत संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं, समस्त निगमित एवं अनिगमित कम्पनीज, नोटेरी पब्लिक एवं शपथ आयुक्त के कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित किया हुआ है, जिसमें कम्पनी के रूप में कार्यरत प्राइवेट बिल्डर्स एवं डवलपर्स भी शामिल है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची में वर्णित दस्तावेजों पर निर्धारित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय है। इस अधिनियम की धारा–17 के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान दस्तावेज के निष्पादन से पूर्व या निष्पादन के समय या निष्पादन से अगले कार्य दिवस तक आवश्यक रूप से किये जाने का प्रावधान है। स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान किए बिना दस्तावेज निष्पादित करना दण्डनीय अपराध है।

यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि लोक कार्यालयों/आमजनता को सुविधा के लिये विभिन्न दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रभावी दरों की जानकारी ऑनलाईन उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की अनुसूची के आर्टिकल–1 से 58 के अधीन निष्पादित होने वाले सभी प्रकार के दस्तावेजों पर प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रभावी दरों को अद्यतन रूप से विभाग की वेबसाईट http:/igrs.rajasthan.gov.in के Home Page पर Fees Master में दर्शाया गया है। कोई भी राजकीय विभाग/संस्थान/बैंक/व्यक्ति विभाग के वेबसाईट पर जाकर किसी भी प्रकार के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता है।

अतः राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–85 के तहत आपको प्रदत्त की गई निरीक्षण की शक्तियों के तहत अपने–अपने क्षेत्राधिकार में स्थित विभिन्न लोक कार्यालयों, बैंकों, बीमा कंपनियों, मॉल के रिकॉर्ड की जॉच करें कि उनके यहां निष्पादित दस्तावेजों पर

स्टाम्प ड्यूटी की अपवंचना तो नहीं की जा रही है। स्टाम्प ड्यूटी की अपवंचना पाये जाने पर नियमानुसार कमी स्टाम्प ड्यूटी की वसूली मय ब्याज एवं शास्ति के वसूल करने की कार्यवाही अमल में लायी जायें।

भवदीय,

27/10/17

(डॉ राजेश शर्मा)
महानिरीक्षक
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
राजस्थान–अजमेर

क्रमांकः एफ–7(42)जन/2017/ 14329-14379 दिनांक : 27/10/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. महानिदेशक, राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, राजस्थान, भूतल 'डी' ब्लाक वित भवन, जयपुर।
4. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
7. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लाक–डी वित भवन जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति, विभाग की वेबसाईट igrs.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
10. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
11. वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
12. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
13. समस्त उप पंजीयकगण, (पूर्णकालीन एवं पदेन) राजस्थान।
14. समस्त प्रभारी, आन्तरिक लेखा जॉच दल, मुख्यालय, अजमेर।
15. निजी–सचिव, महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, अजमेर।
16. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक (प्रशासन)

"पंजीयन भवन", लोहागल–जनाना अस्पताल रोड, अजमेर 305001 (राज.),
फो. : 0145–2971201; 2971203, 2971206 फैक्स 2971202 ई–मेल igrs@rajasthan.gov.in वेबसाईट : http://igrs.rajasthan.gov.in